प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 14.06.2026

- **महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की एक और कार्यवाही।**
- **थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा महिला सम्बन्धी अपराध में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 205/2026 धारा 85/108/352/61(2) बीएनएस0 बनाम 1.महेन्द्र पुत्र बलवीर, 2.बलवीर पुत्र अज्ञात, 3.रामकिशोरी पत्नी बलवीर निवासीगण ग्राम रनियां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के विरूद्ध बावत अभियुक्त महेन्द्र पुत्र बलवीर निवासी रनियाँ पोस्ट हारामऊ थाना भोगनीपुर कानपुर देहात द्वारा वादी की बहन व उसके बच्चों को प्रताडित व मारपीट तथा गाली-गलौज करने तथा दिनांक 10.06.2026 को शाम 20.00 बजे आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, जिससे वादी की बहन द्वारा उसकी 02 पुत्रियों सहित जहर खा लेना, जिससे वादी की बहन एवं 01 भांजी की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 14.06.2026 को 01 वांछित अभियुक्त महेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह निवासी रनियां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब-45 वर्ष को हरदुआ पुल टैंपो स्टैण्ड पुखरायाँ से करीब 25 कदम की दूरी से हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह निवासी रनियां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 45 वर्ष,

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 205/2026 धारा 85/108/352/61(2) बीएनएस0 थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात,
2. मु0अ0सं0 261/2017 धारा 138 (बी) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात,

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह,
2. उ0नि0 श्री वीरपाल सिंह,
3. प्रशि0 उ0नि0 आशीष शुक्ला,